राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–स. 3(3)(2) स्था / मंत्रा. / अभि. / 2018/ 11536-48 दिनांकः– 30/8/18

–:: आदेश ::–

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.।।/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिंनाक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड–पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे के अनुसार (परिशिष्ठ–क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रं.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृति से पूर्व का पद एंव विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री प्रदीप कुमार माथुर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पी.एच.ई.डी. विभाग	23.07.56	एडीपी द्वितीय जयपुर	प्रथम बार
2.	श्री बलदेव सिंह	वरिष्ठ सहायक, वन विभाग	12.09.54	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
3.	श्री बद्री लाल जाट	भू अभिलेख निरीक्षक, राजस्व विभाग	15.06.56	एडीपी टोंक	प्रथम बार
4.	श्री प्रीतम सिंह	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	15.05.58	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
5.	श्री प्रेमनाथ भटेजा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	14.02.58	एडीपी श्रीगंगानगर	प्रथम बार
6.	श्री दानमल वर्मा	कनिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	01.10.65	एडीपी झालावाड	प्रथम बार
7.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	रीडर, न्याय विभाग	04.07.55	एडीपी टोंक	प्रथम बार
8.	श्री विनोद कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग	01.03.62	एडीपी कोटा	प्रथम बार
9.	श्री अब्दूल रजाक	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	31.12.56	एडीपी उदयपुर	द्वितीय बार
10.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	सहायक प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	25.03.57	एडीपी उदयपुर	द्वितीय बार

1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.ाा/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/– के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिंनाक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाऐ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014–00–114–02–01–(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप–10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 0054/H-10/18 दिनांक 23.08.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सेवानिवृत कार्मिक को वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

sd/-
(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रप–10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, ...
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर